संख्या-191/2024/3528/22-2-2023-17(1101)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 अक्टूबर 2024

विषयः- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम रावत पुत्र श्री रतिपाल रावत, निवासी जनपद-अयोध्या की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सियाराम रावत पुत्र श्री रतिपाल रावत, कोटवा, थाना-पटरंगा, जिला-अयोध्या का निवासी है। बन्दी द्वारा ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 20-03-2011 को 01 सहअभियुक्त साथ मिलकर शिवराज नामक व्यक्ति हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-262/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 504 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, फैजाबाद के आदेश दिनांक 31-08-2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 07-06-2022 द्वारा सजा को निर्णीत करते हुये यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16-02-2023 तक 11 वर्ष, 10 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 02 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

सिद्धदोष बन्दी सियाराम रावत पुत्र श्री रतिपाल रावत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 38 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा अपरिहार 11 वर्ष 10 माह 22 दिन की भोग गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम रावत (बन्दी संख्या-6044/2012) पुत्र श्री रतिपाल रावत, निवासी जनपद-अयोध्या की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-191/2024/3528(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन सं0-793/2024 इन विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-1703/2023 सियाराम उर्फ सियाराम रावत बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।